महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता
नवीन योजना का कियान्वयन

प्रेषक,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,
620, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 2531 / अ0सं0क0नि0– 946 / नियो0 / बालिका शिक्षा अनुदान / 2011–12 दिनांक 11 अक्टूबर, 2012

विषय अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत अधिकतम रू0 35,000 / – वार्षिक आय वाले अभिभावकों की कक्षा–10 पास पुत्री को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु रू0 30,000 / – का अनुदान प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 1929 / अ0सं0क0नि0–946 / नियो0 / बा0शि0 अनु0 / 2012–13 दिनांक 24 अगस्त, 2012 के साथ संलग्न शासनादेश संख्या 1326 / 52–3–2012 –सा(2) / 2012 दिनांक 14 अगस्त, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विभाग में नवीन योजना के रूप में प्रतिपादित कक्षा–10 पास पुत्री को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु रू0 30,000 / – का अनुदान के रूप में लागू की गई है।

उपरोकत के कम में योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–3240 / 52–3–12–सा(2) / 12, दिनॉक 11 अक्टूबर 2012 (छायाप्रति संलग्न)द्वारा योजनान्तर्गत पूर्व निर्धारित अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय सीमा रू0 35000 / – को बढ़ा कर रू0 36000 / – वार्षिक करते हुए योजना को तदानुसार कियान्वित किये जाने के संशोधित निर्देश निर्गत किये गये है। आपके एवं जन–सामान्य के उपयोगार्थ उक्त संशोधित शासनादेश विभागीय वेव साइट (www.Minoritywelfare.up.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण में योजनान्तर्गत शासन की मंशा के अनुरूप उपरोक्तानुसार जनपद स्तर पर योजना को तत्काल कियान्वित एवं संचालित किया जाये तथा योजना के कियान्वयन में अक्षरशः अनुपालन किया जाये।

संलग्नकः– यथोपरि

भवदीय,
11/10/12
(अबरार अहमद)
निदेशक,

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनु0–3, उ0प्र0 शासन को शासनादेश सं0 3240 / 52–3–2012–सा(2) / 2012 दिनांक 11 अक्टूबर, 2012 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश

(अबरार अहमद)
निदेशक,

संख्या–3240 / 52–3–12–सा(2) / 12

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3, लखनऊ : दिनांक 11 अक्टूबर, 2012

1179
11-10-12

विषयः–**अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत अधिकतम रू0 35,000/– वार्षिक आय वाले अभिभावकों की कक्षा–10 पास पुत्री को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु रू0 30,000/– का अनुदान प्रदान किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1326/52–3–2012–सा(2)/12 दिनांक 14.8.2012 के अनुक्रम मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत अधिकतम रू0 35,000/– वार्षिक आय वाले अभिभावकों की कक्षा–10 पास पुत्री को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु रू0 30,000/– का अनुदान कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।

2– प्रकरण में यह दृष्टिगत रखते हुये कि समाज के एक बड़े वर्ग का पारिश्रमिक न्यूनतम रू0 100/– प्रतिदिन अर्थात रू0 3000/– प्रतिमाह है, सम्यक विचारोपरान्त योजना के संचालन हेतु अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय सीमा रू0 35,000/– को बढ़ाकर रू0 36,000/– वार्षिक किये जाने एवं योजना के कियान्वयन हेतु उपरोक्त शासनादेश दिनांक 14.8.2012 के प्रस्तर–2(7) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार योजनान्तर्गत लाभार्थी बालिकाओं को अनुदान की धनराशि एक समारोह आयोजित कर प्रभारी मंत्री/मंत्री जी की उपस्थिति में वितरित किये जाने के निमित्त आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 0.5 प्रतिशत की धनराशि प्रशासकीय मद में व्यय करने की सहमति श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के अधीन प्रदान करते है, कि उक्त धनराशि योजना के कियान्वयन/अभिलेखों के रख–रखाव तथा वितरण इत्यादि हेतु अनुमन्य किया जायेगा व उक्त धनराशि को व्यय करते समय मितव्ययता का पूरा–पूरा ध्यान रखा जायेगा तथा उसकी स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेगी।

3– उक्त शासनादेश संख्या–1326/52–3–2012–सा(2)/12 दिनांक 14.8.2012 तद्सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध पूर्ववत रहेंगे।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–11–1187/दस–2012 दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

V. Imp
DD/A.O.
11/10/12
Dir.

भवदीय,
11/10/12
(लीना जौहरी)
सचिव

G.O.

संख्या–3240(1)/52–3–12-- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (व्यय--नियंत्रण) अनुभाग--11
10. नियोजन अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
11. गोपन अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
उप सचिव

G.O.

संख्या–3240/52–3–12–सा(2)/12

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3, लखनऊ : दिनांक 11 अक्टूबर, 2012

विषयः–**अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत अधिकतम रू0 35,000/– वार्षिक आय वाले अभिभावकों की कक्षा–10 पास पुत्री को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु रू0 30,000/– का अनुदान प्रदान किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1326/52–3–2012–सा(2)/12 दिनांक 14.8.2012 के अनुक्रम मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत अधिकतम रू0 35,000/– वार्षिक आय वाले अभिभावकों की कक्षा–10 पास पुत्री को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु रू0 30,000/– का अनुदान कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।

2– प्रकरण में यह दृष्टिगत रखते हुये कि समाज के एक बड़े वर्ग का पारिश्रमिक न्यूनतम रू0 100/– प्रतिदिन अर्थात रू0 3000/– प्रतिमाह है, सम्यक विचारोपरान्त योजना के संचालन हेतु अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय सीमा रू0 35,000/– को बढ़ाकर रू0 36,000/– वार्षिक किये जाने एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त शासनादेश दिनांक 14.8.2012 के प्रस्तर–2(7) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार योजनान्तर्गत लाभार्थी बालिकाओं को अनुदान की धनराशि एक समारोह आयोजित कर प्रभारी मंत्री/मंत्री जी की उपस्थिति में वितरित किये जाने के निमित्त आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 0.5 प्रतिशत की धनराशि प्रशासकीय मद में व्यय करने की सहमति श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के अधीन प्रदान करते है, कि उक्त धनराशि योजना के क्रियान्वयन/अभिलेखों के रख–रखाव तथा वितरण इत्यादि हेतु अनुमन्य किया जायेगा व उक्त धनराशि को व्यय करते समय मितव्ययता का पूरा–पूरा ध्यान रखा जायेगा तथा उसकी स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेगी।

3– उक्त शासनादेश संख्या–1326/52–3–2012–सा(2)/12 दिनांक 14.8.2012 तद्सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध पूर्ववत रहेंगे।

4– उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–11–1187/दस–2012 दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(लीना जौहरी)
सचिव

G.O.

संख्या–3240(1)/52–3–12– तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–11
10. नियोजन अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
11. गोपन अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)

उप सचिव

G.O.